

पूँजीपति और उनके चाकर हैं भ्रष्टाचारी, जनता नहीं

एक बात आजकल हर जगह कही जाती है कि लोग भ्रष्ट हो गये हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जो जहाँ है, वहीं भ्रष्टाचार करने में लगा है। भ्रष्टाचार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस देश में संत्री से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट है। आदि-आदि। क्या यह सच है? एक नज़र में यह तो सच दिखाई पड़ता है, पर यह पूरा सच नहीं है।

फिर सच क्या है?

सच यह है कि सभी लोग भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर नहीं हैं। कोई यह बताये कि एक मजदूर क्या भ्रष्टाचार करता और एक किसान किस तरह से भ्रष्ट गतिविधियों में लगता है? मजदूर-किसान, जिनकी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा है, किसी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होते, हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनके कार्य की प्रकृति ही ऐसी है। मजदूर अपनी मेहनत और कार्यकुशलता के बल पर, वहीं किसान अपनी मेहनत के बल पर उन वस्तुओं को पैदा करते हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर किसान खेतों में अन्न उगाना बंद कर दें तो क्या होगा! क्या लोग पैसा खाना शुरू कर देंगे? इस दुनिया में बड़ा से बड़ा धनपति भी गरीब किसानों द्वारा उपजाया अन्न खाता है। वह किसान आखिर अनाज उपजाने में किस तरह का भ्रष्टाचार और गोलमाल कर सकता है। इसी प्रकार एक मजदूर भी मेहनत एवं मशीनों की सहायता से हर किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके बिना लोगों का जीना दुभर हो जाये। ये फैक्ट्री मजदूर आखिर किस तरह का और कैसा भ्रष्टाचार करते हैं? ये जब फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं और फैक्ट्री से वापस निकलते हैं तो इनकी जामातलाशी

ली जाती है। यानी इन पर छोटी-मोटी चोरियाँ करने का शक किया जाता है। वैसे, छोटी-मोटी चोरी करने की सारी संभावनायें खत्म हो जाती हैं तो इन पर कामचोरी का आरोप लगाया जाता है। पर ये चाह कर भी कामचोरी नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरसियर का डंडा बराबर उनके सिर पर मौजूद रहता है। इस तरह, ये चोरी क्या, कामचोरी तक भी नहीं कर पाते। दूसरे, अधिकांश मजदूर ठेके पर लिये जाते हैं। ठेके पर मजदूर का मतलब गुलाम मजदूर। उसे अपनी नौकरी बचाये रहने की चिंता इस कदर खाये जाती है कि वह कामचोरी के बारे में सोच तक नहीं सकता। प्रायः मजदूरों से कानून के अनुसार आठ घंटे काम लेने की जगह कारखाना मालिक व प्रबंधक 12 से 14 घंटे तक काम लेता है। ऊपर से उसे भगवान का डर भी होता है कि छोटे-मोटे अपराध कर के वे भगवान को क्या मुंह दिखायेंगे?

जाहिर है, मजदूर और किसान किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करता और जिसकी आबादी 80 फीसदी से कम नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि पूरा देश भ्रष्टाचार में डूब चुका है। आखिर, देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, वह भ्रष्टाचार से अलग है तो फिर देश को भ्रष्टाचार में डुबोने वाले लोग कौन हैं? सवाल यह उठाना चाहिए और इस पर विचार-मंथन किया जाना चाहिए। वैसे देखा जाये तो इस सवाल पर विशेष विचार-मंथन की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आइने की तरह साफ़ है। देश में भ्रष्टाचार के सबसे अधिक और बड़े आरोपी राजनेताओं में से आते हैं। लगभग सभी दलों के नेतागण कमोबेश भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, पर नेताओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे स्टिंग ऑपरेशन के खुफ़िया कैमरों में पकड़े जाने के बाद भी निर्लज्जतापूर्वक यह कहते हैं कि यह सब उन्हें फंसाने की विरोधी दल

भ्रष्टाचार पर लगाम स्वयं सचेत और शासन प्रक्रिया के स्वरूप की समझदारी रखने वाले लोग ही लगा सकते हैं। लगाम लगाना क्या, वे इसे निर्मूल कर सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना जो मजदूरों और किसानों का रक्त चूस कर पलती है। और जब पीने का पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता तो हड्डियां तक चबाने लगती है।

की चाल है, भले ही वह विरोधी दल सत्ता में हो या सत्ता से बाहर। अनेकों ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप स्वयंसिद्ध हो जाने के बावजूद उच्च राजनीतिक व कार्यकारी पदों को सुशोभित करते रहते हैं। रिश्वत देकर सरकार बनाई जाती और बचाई जाती हैं। संसद में खुलेआम नोटों की गड्डियां लहराते दिखाई जाती हैं। दावे किये जाते हैं कि फलां नेता को रिश्वत दी गई है और फलां ने रिश्वत दी है। सीबीआई के अधिकारी अथवा आयकर के अधिकारी नेताओं के घरों में छापा मारने जाते हैं तो नोटों की भरमार को देख कर अंचभित रह जाते हैं। लेकिन ये तो बचे-खुचे खुदरा खर्च के लिए नोट होते हैं, ज्यादातर माल तो स्विट्ज़रलैंड के गोपनीय बैंक खातों में डाल दिया जाता

है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। ये जनता से टैक्स वसूलते हैं जनकल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, पर ठेका ऐसे ठेकेदार को देते हैं जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कमीशन दे सके। सेना विभाग अथवा और भी किसी महत्वपूर्ण विभाग के लिए जब विदेशों से खरीददारी करनी हो तो पहले उच्चाधिकारियों का दल माल की गुणवत्ता को जांचने-परखने के नाम पर वहाँ जाता है, कमीशन रेट तय करता है और जम कर मौज-मस्ती लेता है। विदेशी इनकी नस को पकड़ चुके हैं, इसलिए वे घटिया और अनुपयोगी कचरे में पड़ा माल थोड़ी-रंग-रोगन के बाद भेज देते हैं और हमारे देश के 'आंख के अंधे, गांठ के पूरे' नेता और अफसर उसे अपने स्टॉक में रख लेते हैं। पाठकों को बताने की जरूरत नहीं कि सेना में विदेशों से हथियार खरीद के कितने घोटाले प्रकाश में आ चुके हैं। एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने पद ही छोड़ दिया ताकि पूरा समय हथियारों की दलाली में लगा सके। इसी तरह बोफोर्स घोटाले का नाम इस देश के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। लालू प्रसाद यादव द्वारा किया गया चारा घोटाला भला भूलने की चीज है, पर ऐसी जांचों पर सीबीआई को राजनीतिक निर्देश दिया जाता है कि वह उन पर कुंडली मार कर बैठ जाये। 15-20 वर्षों में लोग स्वतः इसे भूल जायेंगे। होता भी ऐसा ही है। यह देख नेताओं और सरकारी उच्चाधिकारियों की बाँछें खिली रहती हैं। वे समझते हैं कि उन्हें पकड़ेगा कौन। देश का कानून वे बनाते हैं। बड़ा से बड़ा अफसर भी उनके पैरों के नीचे गिरने को तैयार होता है। पर दैवयोग से कभी फंस भी गये तो निकलने के हजारों रास्ते हैं। हमारे देश के बड़े-बड़े से नेताओं में शायद ही कोई ऐसा हो जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इन्होंने 'राजनीति को काजल

की कोठरी' और 'वेश्या' तक माना है, पर इस काजल की कोठरी से मुक्त होने को तैयार नहीं हैं।

कारण यह है कि अरबों-अरब रुपये जो जनता से टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है तो उसमें मुंह कैसे मारेंगे? पैसा और पावर, यही दो चीजें हैं जो लोगों को नेता और अफसर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। पैसे की चाट लगे नेताओं और अफसरों को सूखे वेतन पर निर्भर रहना पड़े तो वे इस क्षेत्र को छोड़ भागेंगे।

सवाल है, क्या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सकता है? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आखिर कैसे किया जा सकता है जब देश के शासन के कर्णधार स्वयं भ्रष्टाचार की जड़ों को सींचने के लिए तैयार हों। वर्तमान शासन तंत्र से जिसमें न्यायाधिक व्यवस्था भी आ जाती है, यह उम्मीद करना कि वह भ्रष्टाचार पर मुक्ति पाने के लिए कुछ करेगी, वह ऐसा ही है कि भेड़िये से उम्मीद की जाये कि वह शिकार करना छोड़ देगा।

भ्रष्टाचार पर लगाम स्वयं सचेत और शासन प्रक्रिया के स्वरूप की समझदारी रखने वाले लोग ही लगा सकते हैं। लगाम लगाना क्या, वे इसे निर्मूल कर सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना जो मजदूरों और किसानों का रक्त चूस कर पलती है। और जब पीने को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता तो हड्डियां तक चबाने लगती है। इसलिए वर्तमान व्यवस्था में आसमान से कोई देवदूत आ कर भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को दूर कर देगा, यह सोचना निराधार ही नहीं मूर्खता भी है। इस व्यवस्था का समूल नाश किये बिना और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके लिए शोषित-उत्पीड़ित किसानों और मजदूरों को एकता बना कर वर्तमान व्यवस्था की चूल्हें हिलाने के युगान्तरकारी काम में लग जाना चाहिए।

■ मनोज कुमार झा

क्षेत्रीय दलों की राजनीति झूठा एवं निराधार है मधुबन कांड

इस तथ्य को इतिहास ने साबित कर दिया है कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगती हैं। यह दरअसल सत्ता की बंदरबांट के लिए होता है। आज देश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों को छोड़ कर तमाम राजनीतिक पार्टियां घोषित रूप से क्षेत्रीय हैं। जनता दल (यूनाइटेड) लोकजनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, इंडियन नेशनल लोकदल, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल आदि ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका आधार और प्रभाव किसी न किसी क्षेत्र (राज्य)विशेष में है। इन सभी दलों की अखिल भारतीय पहचान नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका पिछले डेढ़ दशकों में काफी महत्वपूर्ण हो गई है। संघीय राजनीति में इन क्षेत्रीय दलों की भूमिका इतनी प्रभावी हो चुकी है कि अब कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ अपने बलबूते केंद्र में सत्ता पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता।

क्षेत्रीय दलों के बड़े प्रभाव के कारण अब केंद्र और काफ़ी हद तक राज्यों में भी गठबंधन राजनीति का बोलबाला है। ऐसे राज्य इक्का-दुक्का हैं जहां कोई क्षेत्रीय दल अथवा राष्ट्रीय पहचान रखने वाला दल सत्ता में हो। इन दलों का महत्व केंद्र में सरकार गठन करने के लिए काफी

आम जनता काफ़ी त्रस्त होने के बावजूद अपने लिए कोई सार्थक विकल्प ढूंढ पाने में असमर्थ होती है, क्योंकि वह एक दल अथवा गठबंधन को सत्ता से हटाती है तो दूसरे दल व गठबंधन सत्ता में आने के बाद बदले हुये नारों के साथ जनता को लूटने में लग जाते हैं। इस तरह, यह स्पष्ट है कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में जनता को शोषण और दमन से छुटकारा नहीं मिल सकता।

निर्णायक साबित होता है। कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों का एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य है तो भी अधिकांश राज्यों में वे प्रभावी नहीं रह गये हैं। ये इतनी सीटों पर अधिकार नहीं जमा पाते कि केंद्र में अपने बलबूते सरकार का गठन कर सकें। इसलिए अब गठबंधन राजनीति के सिवा और कोई विकल्प रह भी नहीं गया है। गठबंधन राजनीति का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि कतिपय राज्यों को यदि छोड़ दिया जाये तो ऐसे राज्यों की संख्या कम नहीं है जहां कोई एक पार्टी

सरकार बनाने का दावा कर सके। भाजपा और कांग्रेस जैसे दल राज्यों में सरकार में हिस्सेदारी करने के लिए क्षेत्रीय दलों पर पूरी तरह आधारित हैं।

क्षेत्रीय दल सत्ता में आने के लिये जनता में जातिवादी, सांप्रदायिक और अन्य संकीर्ण भावनाओं को उभार कर अपना वोट बैंक बनाते हैं अथवा उसका विस्तार करते हैं। चूंकि पूँजीवादी व्यवस्था में 'विकास' असमान होता है और कतिपय राज्य विकास की अंधी दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए वहां राजनीतिक दल क्षेत्रीय पहचान के आधार पर खड़े होते हैं और जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जनता के असंतोष के कारण उन्हें सफलता भी मिलती है। लेकिन ये दल राज्यों में अथवा गठबंधन राजनीति के तहत केंद्र में सत्ता में भागीदारी करने के बावजूद अपने क्षेत्र और जनता के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज़ी के साथ और भी निर्ममतापूर्वक जनसंसाधनों के दोहन एवं आम जनता के शोषण में लग जाते हैं। आम जनता काफ़ी त्रस्त होने के बावजूद अपने लिए कोई सार्थक विकल्प ढूंढ पाने में असमर्थ होती है, क्योंकि वह एक दल अथवा गठबंधन को सत्ता से हटाती है तो दूसरे दल व गठबंधन सत्ता में आने के बाद बदले हुये नारों के साथ जनता को लूटने में लग जाते हैं।

इस तरह, यह स्पष्ट है कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में जनता को शोषण और दमन से छुटकारा नहीं मिल सकता।

■ मनोज

पानीपत (वि.) हरियाणा के प्रगतिशील वकीलों के संगठन ऑल इंडिया लायर्स यूनियन के प्रांतीय सचिव दयानंद सिंह एडवोकेट ने कहा कि गत दिवस मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में तथाकथित यौन शोषण का लांछन बेशक मधुबन पुलिस तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम हो, परंतु यह साफ़ तौर पर महि लाकर्मियों का मनोबल गिराने का एक कुत्सित प्रयास भी है। अन्य वक्ताओं ने बिना किसी सबूत व शिकायत के किसी निराधार घटना को प्रचारित करने से महिला पुलिस बल सहित सभी कार्यरत महिलाओं को इस अफवाह व कुप्रचार द्वारा अपमानित करने के प्रयास की निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसा प्रयास उसी सामंती पुरुष प्रधान मानसिकता का परिचायक है जिसमें महिला को शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों से वंचित रहने की व्यवस्था का प्रावधान है। इससे सामंती व सांप्रदायिक सोच उजागर होती है। सेक्स स्कैंडल का शोर-शराबा मचाने वाले महिलाओं के लिए अलग पुलिस एकेडमी खोलने की बात करते हैं। ये महिलाओं के लिए अलग अलग शिक्षा संस्थान, अलग

ट्रेस कोड, पर्दा प्रथा तथा उन्हें हमेशा चुप रह कर सब कुछ सहने की सलाह देते हैं और कभी खाप पंचायत और कभी सांप्रदायिक आधार पर उन्हें हिंसा का शिकार बनाते हैं। जहां तक मधुबन की महिला पुलिसकर्मियों का सवाल है, इन्होंने 'लड़कियों का इंकलाब, जिंदाबाद' से लेकर 1857 की क्रांति पर आधारित नाटक में पूरे जोश-खरोश के साथ भाग लिया। इस नाटक का मंचन राज्य में होने के अलावा देश के कई अन्य जगहों पर भी हुआ जिनमें महिलाओं के अभिनय और नृत्य कला की काफ़ी प्रशंसा हुई। ऑल इंडिया लायर्स एसोसियेशन ने मधुबन की महिला पुलिसकर्मियों के साहस तथा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संगठन झूठा प्रचार करने वाले षड्यंत्रकारी लोगों को चेतावनी देता है कि वे अपनी हरकतों बाज आयें, अन्यथा उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

हुए कहा कि यह संगठन झूठा प्रचार करने वाले षड्यंत्रकारी लोगों को चेतावनी देता है कि वे अपनी हरकतों बाज आयें, अन्यथा उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा। निराधार तथ्यों के आधार पर महिलाकर्मियों का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। लायर्स यूनियन ने कहा है कि वह शीघ्र ही ऐसे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए एक उपसमिति गठित करेगी।